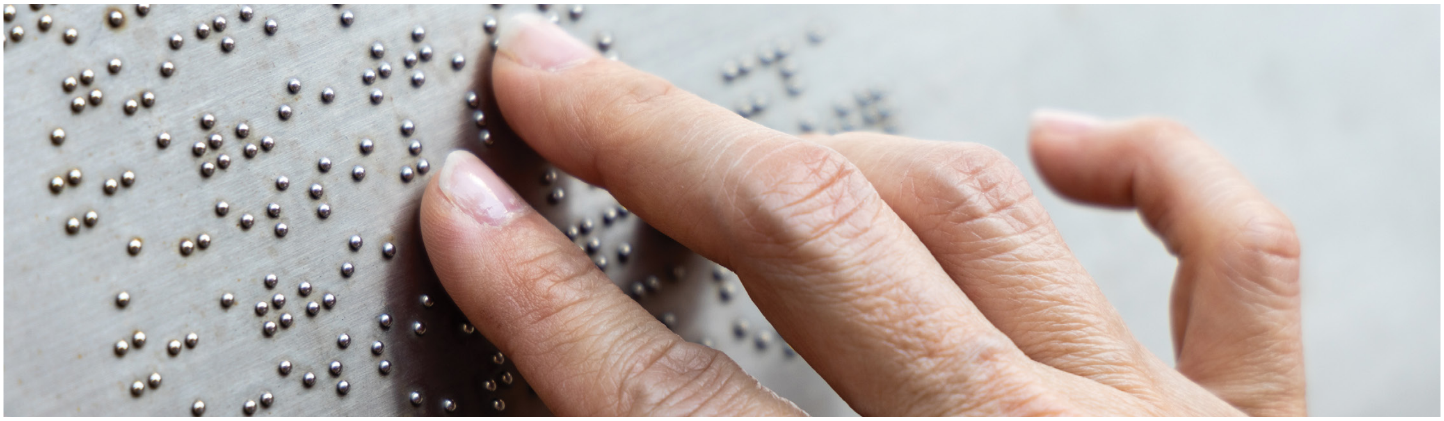

गैर-भेदभाव की सार्वजनिक सूचना

The Americans With Disabilities Act Of 1990 (1990 के अमेरिकी विकलांगता अधिनियम) और The Rehabilitation Act Of 1973 (1973 के पुनर्वास अधिनियम) की धारा 504 के तहत विकलांगता के आधार पर गैर-भेदभाव की सूचना

The Americans with Disabilities Act of 1990 (1990 के अमेरिकी विकलांग अधिनियम) के शीर्षक II और The Rehabilitation Act Of 1973 (1973 के पुनर्वास अधिनियम) की धारा 504 की ज़रूरतों के अनुसार, Washington राज्य का Department of Children, Youth, and Families (बाल, युवा व परिवार विभाग, DCYF) अपनी सेवाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों में विकलांगता के आधार पर योग्य विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

प्रभावी संचार

DCYF, अनुरोध पर, विकलांग योग्य व्यक्तियों के लिए प्रभावी संचार पक्का करने के लिए उचित सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा ताकि वे DCYF के कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सकें। ऐसी सहायता और सेवाओं में योग्य सांकेतिक भाषा दुभाषिए, ब्रेल में डॉक्यूमेंट्स, और बोलने, सुनने या दृष्टिबाधित लोगों के लिए सूचना और संचार को सुलभ बनाने के अन्य तरीके शामिल हो सकते हैं।

नीतियों और प्रक्रियाओं में संशोधन

DCYF ये पक्का करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में उचित संशोधन करेगा कि विकलांग लोगों को सभी DCYF कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर मिले। उदाहरण के तौर पर, सेवा पशुओं वाले लोगों का राज्य के कार्यालयों में स्वागत किया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ भी जहाँ जानवरों को आम तौर पर प्रतिबंधित किया जाता है।

प्रभावी संचार या नीतियों में कोई संशोधन पक्का करने के लिए सहायता या सेवा का अनुरोध करना

जिस किसी को DCYF कार्यक्रम, सेवा या गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रभावी संचार या नीतियों या प्रक्रियाओं में संशोधन के लिए सहायक सहायता या सेवा की ज़रुरत है, उसे जल्द से जल्द नीचे दिए गए स्टाफ़ के सदस्यों में से एक को सूचित करना चाहिए, अधिमानतः निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पहले:

1. एक DCYF कर्मचारी, या
2. DCYF ADA समन्वयक
   dcyf.adaaccessibility@dcyf.wa.gov
   फ़ोन: (360) 480-7230, रिले यूज़र्स 7-1-1 डायल करें
3. ADA को DCYF से ऐसी कोई कार्रवाई करने की ज़रुरत नहीं है जो उसके कार्यक्रमों या सेवाओं की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दे या अनुचित वित्तीय या प्रशासनिक बोझ डाल दे।

Washington State Department of
CHILDREN, YOUTH & FAMILIES

शिकायतें

शिकायतें कि एक DCYF कार्यक्रम, सेवा या गतिविधि विकलांग लोगों के लिए एक्सेस कर पाने योग्य नहीं है, उन्हें यहाँ निर्देशित किया जाना चाहिए:

Karin Morris, ADA समन्वयक

Department of Children, Youth, and Families (बाल, युवा, व परिवार विभाग)
1500 Jefferson St., SE
Olympia, WA 98501
dcyf.adaaccessibility@dcyf.wa.gov
फ़ोन: (360) 480-7230
Washington रिले: 711 या 1-800-833-6384

Washington राज्य सहायक सहायता या सेवाएँ या उचित नीति संशोधन प्रदान करने की लागत को कवर करने के लिए किसी विशेष विकलांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्तियों के किसी समूह पर कोई अधिभार नहीं लगाएगा।

जबकि DCYF के पास एक आंतरिक ADA शिकायत नीति है, ये नीति किसी भी तरह से विकलांग व्यक्ति को ADA टाइटल II उल्लंघनों के लिए अमेरिकी Department of Justice (न्याय विभाग) के नागरिक अधिकार प्रभाग, धारा 504 उल्लंघनों के लिए अमेरिकी Department of Health and Human Services (स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग), या Washington State's Human Rights Commission (राज्य के मानवाधिकार आयोग) के साथ विकलांगता भेदभाव की शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकती है।

अमेरिकी Department of Justice (न्याय विभाग, DOJ), नागरिक अधिकार प्रभाग

https://civilrights.justice.gov

नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए न्याय विभाग से संपर्क करें:
https://civilrights.justice.gov/report

मेल द्वारा ADA शिकायत दर्ज करने के लिए, ADA शिकायत फ़ॉर्म डाउनलोड करें:
www.ada.gov/t2cmpfrm.html

भरा हुआ फ़ॉर्म यहाँ भेजें:

US DOJ – नागरिक अधिकार प्रभाग
950 Pennsylvania Ave, NW
4CON, 9th Floor
Washington, DC 20530

अमेरिकी Department of Health & Human Service (स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग), नागरिक अधिकार कार्यालय

नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करने के निर्देश:
www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html

ऑनलाइन HHS - OCR शिकायत पोर्टल:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf

मेल द्वारा The Rehabilitation Act (पुनर्वास अधिनियम) शिकायत की धारा 504 दर्ज करने के लिए, नागरिक अधिकार भेदभाव फ़ॉर्म डाउनलोड करें:
www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-60-day-frn-cr-crf-complaint-forms-508r-11302022.pdf

पूरा किया हुआ फ़ॉर्म यहाँ भेजें:

केंद्रीकृत केस प्रबंधन संचालन
U.S. HHS – 200 Independence Ave., S.W.
Room 509F HHH Bldg.
Washington DC 20201

Washington State Human Rights Commission (राज्य मानवाधिकार आयोग, WSHRC)

www.hum.wa.gov

किसी सार्वजनिक आवास से संबंधित विकलांगता भेदभाव शिकायत को मेल द्वारा दर्ज करने के लिए, सार्वजनिक आवास शिकायत फ़ॉर्म डाउनलोड करें:
www.hum.wa.gov/file-complaint

भरा हुआ फ़ॉर्म यहाँ भेजें:

WSHRC – ओलंपिया मुख्यालय
711 S. Capitol Way, Suite 402
Olympia, WA 98504

DCYF भेदभाव नहीं करता है और जाति, रंग, लिंग, धर्म, पंथ, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीय मूल, यौन अभिविन्यास, उम्र, अनुभवी की स्थिति, या किसी भी शारीरिक, संवेदी, या मानसिक विकलांगता की उपस्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए अपने कार्यक्रमों और सेवाओं तक समान एक्सेस प्रदान करता है।

*अगर आप वैकल्पिक फ़ॉर्मेट या भाषा में इस प्रकाशन की निःशुल्क प्रतियाँ चाहते हैं, तो कृपया DCYF Constituent Relations (DCYF कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेशंस) से 1-800-723-4831 पर संपर्क करें या **communications@dcyf.wa.gov** पर ईमेल करें।*

DCYF PUBLICATION HR_0012 HI (02-2023) Hindi